मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक 1580/2982/94/9/एक   भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका निष्प्रभावी होने के संबंध में।

शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में जहां प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा अंकित की गई टीका प्रतिकूल स्वरूप की हो किन्तु समीक्षाकर्ता (Reviewing Authority) एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी (Accepting Authority) ने स्पष्ट रूप से असहमति अंकित की हो, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा दी गई टिप्पणी को प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में संसूचित किया जाना चाहिए था, उस टिप्पणी को निष्प्रभावी मानकर कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. उपरोक्त प्रश्न के संबंध में भारत सरकार के का. ज्ञा. संख्या 52/5/72-स्थापना-(क), दिनांक 20 मई, 1972 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में पुनरीक्षक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई असहमत है तो उच्च अधिकारी का मत सही मूल्यांकन माना जाएगा।

3. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीका के स्वतः निष्प्रभावी होने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश न होने से भारत शासन के प्रावधान अनुसार परीक्षण उपरांत राज्य शासन ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है कि यदि किसी अधकिारी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Authority) द्वारा प्रतिकूल टीका अंकित की गई है और यदि उस दी गई प्रतिकूल टीका से पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई अपनी असहमति व्यक्त करता हो तो ऐंसी स्थिति में उच्च अधिकारी पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मत को ही सही माना जाकर मूल्यांकन किया जाए।

कृपया भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक 1581/2982/94/9/एक   भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 1994

प्रतिलिपिः—

1. **रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,**

2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर,

3. सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

4. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,

5. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, म. प्र., भोपाल,

6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल।

मुख्य मंत्रीजी के सचिव/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों के निजी सचिव,

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.